तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज अपील संख्या 09/2026(जी.सी.एम.एस. नंबर 2026/11) बअनवान मोहनसिंह बनाम बाबुसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

मोहनसिंह

बनाम

बाबुसिंह इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ओमप्रकाश फड़ौदा, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो व तीन
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या छः

आदेश

दिनांक 12 मई 2026

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 157/2024 बअनवान बाबुसिंह बनाम मोहनसिंह इत्यादि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2025 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 24 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। रेस्पो. ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि विवादग्रस्त भूमि विरासतन अपने दादा सोहनसिंह से पिता मोहनसिंह को प्राप्त हुई है। रेस्पोडेंट्स ने अपने उक्त कथनों की प्रमाणिकता हेतु कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वास्तविकता यह है कि अपीलार्थी ने भिन्न–भिन्न बेचाननामों के जरिये वादग्रस्त आराजीयात क्रय की है। खसरा नम्बर 206, 208, 213, 215, 216 की भूमि दिनांक 22.05.2023 को, खसरा नम्बर 3710 की भूमि दिनांक 15.12.1989 को, खसरा नम्बर 3590 की भूमि दिनांक 15.12.1989, खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नम्बर 3691 की भूमि दिनांक 15.12.1989 को पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये क्रय की है। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट्स की पुश्तैनी भूमि न होकर अपीलांट की स्वअर्जित भूमि है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा से खरीददार को अपने खातेदारी अधिकारों के उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित करने में भारी विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि आलौच्य आदेश दिनांक 18.06.2025 की जानकारी अपीलांट को पूर्व में नहीं हो सकी थी। अपीलांट अपने व्यवसाय से राजस्थान से बाहर कार्यरत था। हाल ही में दिनांक 09.11.2025 को अपने गांव आया तो अफवाह सुनी उसके खेतों पर स्थगन आदेश आया है। जिस पर दिनांक 10.11.2025 को अधिवक्ता से सम्पर्क किया, तब उन्होने कहा कि आदेश तो पारित हुआ है, लेकिन किस आशय का पारित हुआ है, उसकी नकल मैने नहीं ली है, आपको नकल दिलवा देते है, तब दिनांक 10.11.2025 को नकल हेतु आवेदन किया, जिस पर दिनांक 11.11.2025 को नकल प्राप्त हुई, जिसको पढने से आदेश की जानकारी हुई। जानकारी होते ही कानूनी सलाह मशवीरा किया एवं अपील के खर्चे की व्यवस्था की एवं अपील तैयार करवाई जाकर जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने जानबूझकर या उद्देश्य विशेष की प्राप्ति हेतु कोई विलम्ब नहीं किया है, उक्त विलम्ब सद्भावी था, जो क्षम्य योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2025 को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पो. संख्या दो व तीन के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पो. की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है, जिसके संबंध में विचारण न्यायालय में मूल वाद विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया हैं। यह उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन आदेश पारित होने के वक्त अपीलांट जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष मौजूद रहे है। अपीलांट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज अपील संख्या 09/2026(जी.सी.एम.एस. नंबर 2026/11) बअनवान मोहनसिंह बनाम बाबुसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम में मिथ्या एवं झूंठे कथन किये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक रेस्पोडेंट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में पुश्तैनी आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। मूल वाद के विचाराधीन रहते विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना प्रकट होता हैं। जहां तक अपीलांट का उज्र है कि वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो. की पुश्तैनी भूमि न होकर अपीलांट की स्वअर्जित भूमि है, अपीलांट के उक्त तथ्य का निर्धारण मूलवाद में जरिये साक्ष्य तय होना है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में न होकर रेस्पो. के पक्ष में पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट म्याद बाधित एवं सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 जून 2025 को यथावत रखा जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर